



वेदमाता गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

लाभ-हानि पत्रक

वर्ष 2020-2021

	विवरण	रकम		विवरण	रकम
1	कार्यालय व्यय	58,900.00	1	निविदा शुल्क	600.00
2	वेतन	218,500.00	2	व्यवस्था शुल्क	112,830.00
3	बैंक चार्जस	584.70	3	हस्तान्तरण शुल्क	81,402.00
4	कानुनी व्यय	72,000.00	4	बैंक ब्याज	57,099.36
5	डाक व्यय	3,653.00	5	हानि	159,385.34
6	विज्ञापन व्यय	21,650.00			
7	टाईपिंग खर्च एवं फोटोकॉपी	19,201.00			
8	साधारण सभा खर्च	14,328.00			
9	अंकेक्षण शुल्क	2,500.00			
	योग	411,316.70		योग	411,316.70


अंकेक्षक
सहकारी गृह निर्माण
(म.प्र.)


अध्यक्ष
वेदमाता गायत्री सहकारी गृह निर्माण
वेदमाता गायत्री श.सं.सं.

वेदमाता गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

स्थिति विवरण पत्रक

31 मार्च 2021 पर

दायित्व		रकम		संपत्ति		रकम	
1	अंश पूँजी सदस्य	277900.00	279,500.00	1	इ.प्रि.को.बैंक मालवामील	133571.04	81,089.14
		+1,600.00				+180,678.00	
		279500.00				314249.04	
2	प्लॉट अमानत गत	5495160.75	5,495,160.75			233159.90	
3	अमानत गत	262547.00	320,547.00	2	भूमि कय (गत)	4648355.00	4,648,355.00
		+316,124.00		3	फर्निचर (गत)	102738.00	102,738.00
		578671.00		4	विकास व्यय गत	+40,319,341.00	44,741,173.00
		-258,124.00				+4,421,832.00	
		320547.00					
4	विकास व्यय गत	40589958.00		5	अग्रिम (गत)	901000.00	901,000.00
		+3,744,265.00	44,334,223.00	6	इ.प्रि.को.बैंक अन्नपूर्णा	1044075.20	251,392.40
		44334223.00				+3,787,890.00	
5	सिकुरिटी डिपॉजिट	30000.00	30,000.00			4831965.20	
6	भूमि विक्रय पेटे गत	1001000.00	1,001,000.00			+4,580,572.80	
7	अंश पूँजी देना बाकी	57900.00	57,900.00	7	मियादी अमानत	29552.00	30,227.36
8	सस्पेंस खाता (गत)	178900.00	105,107.00			+675.36	
		-73793.00				30227.36	
		105107.00		8	टी. डी. एस.	4051.00	4,051.00
9	अंकेक्षण शुल्क (देय)	19320.00	21,820.00	9	हानि (गत)	725779.51	885,164.85
	गत	2500.00			वर्ष मे हानि -	159385.34	
		+21,820.00		10	अंतिम सिल्लक	67.00	67.00
	योग		51,645,257.75		योग		51,645,257.75

कार्यालय महाबल पंजीयक (अंके) सहकारी संस्थारे
 स्थिति इन्दौर संस्था प्रतिवेदन ताल निर्माण पत्र
 संस्था/अंके./निर्माण/2022/ 22/ 1481
 दिनांक 31.03.2022 में पंजीयक कार्यालय एवं
 निर्माण के पालन में जारी।

अंकेक्षक

अंकेक्षक
 (म.प्र.)

अध्यक्ष
 वेदमाता गायत्री सहकारी गृह निर्माण
 संस्था मर्या. इन्दौर स.सं.

वेदमाता गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर

आय-व्यय पत्रक

दिनांक 1-4-2020 से 31-3-2021 तक

आय	रकम	व्यय	रकम
1 प्रा. सिल्लक	4,223.00	1 अमानत	258,124.00
2 सिकुरिटी डिपासिट		2 कार्यालय व्यय	58,900.00
3 अंश पूजी	1,600.00	3 वेतन	218,500.00
4 व्यवस्था शुल्क	112,830.00	4 इ.प्रि.को.बैंक मालवामील	180,678.00
5 इ.प्रि.को.बैंक मालवामील	233,159.90	5 इ.प्रि.को.बैंक अन्नपूर्णा	3,787,890.00
6 इ.प्रि.को.बैंक अन्नपूर्णा	4,580,572.80	6 बैंक चार्जस	584.70
7 विकास शुल्क	3,744,265.00	7 कानुनी व्यय	72,000.00
8 हस्तान्तरण शुल्क	81,402.00	8 डाक व्यय	3,653.00
9 निविदा शुल्क	600.00	9 विज्ञापन व्यय	21,650.00
10 बैंक ब्याज	57,099.36	10 मियादी अमानत	675.36
11 अमानत	316,124.00	11 भूमि विकास व्यय	4,421,832.00
12 अंकेक्षण शुल्क (देय)	2,500.00	12 टाईपिंग खर्च एवं फोटोकॉपी	19,201.00
		13 ससपेंस खाता	73,793.00
		14 साधारण सभा खर्च	14,328.00
		15 अंकेक्षण शुल्क	2,500.00
		16 अंतिम सिल्लक	67.00
योग	9,134,376.06	योग	9,134,376.06

अंकक्षक
सहकारी निरीक्षक
जिला-इन्दौर (म.प्र.)

अध्यक्ष
वेदमाता गायत्री सहकारी गृह निर्माण
वेदमाता गायत्री मर्या., इन्दौर सं.

अंकेक्षण का प्रमाण पत्र

मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता आडीटर तस्दीक करता हूँ कि मैंने बेदमाता गांधी ग्रामिण सौभाग्य
मर्या 3512 तह 3512 जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक DR/EDR/435
दिनांक 23/3/1987 है के तारीख 01/04/2022 से तारीख 31/03/2021 तक (वर्ष 2020-2021) के
हिसाबात की तफसीलवार जाँच कर ली है। संस्था का लेनदेन वाजिब तौर पर कायदे के
मुताबीक हुआ है। अंकेक्षण में पाई गई गलतियों का जिक्र अंकेक्षण प्रतिवेदन में कर दिया
गया है।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि -


(जो लागू न हो उन्हें काट दें)


- ✓ संस्था के अंकेक्षण के दौरान प्राप्त गबन धोखाधड़ी, गंभीर वित्तीय अनियमितताओं व
सहकारी अधिनियम/नियम एवं उपविधियों में उल्लंघन के प्रकरणों का उल्लेख मेरे
द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन में कर दिया गया है।
- ✓ यह कि ऐसी वित्तीय अनियमितताएँ जिनसे संस्था को हानि पहुंची है की वसूली हेतु
विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।
- ✓ यह कि गबन धोखाधड़ी के प्रकरणों में पुलिस कार्यवाही हेतु तथा राशि वसूली हेतु
संबंधितों को अवगत करा दिया गया है।
- ✓ अंकेक्षण के दौरान गबन-धोखाधड़ी, गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, के कोई प्रकरण
प्रकाशमान नहीं हुए।
- ✓ संपरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित आपत्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य
प्रकाशमान नहीं हुए हैं।

संस्था के कार्य संचालन के आधार पर मैं संस्था को 'B' वर्ग में रखने
की सिफारिश करता हूँ।

स्थान- इन्दौर

दिनांक 15/04/2021




हस्ताक्षर अंकेक्षक

नाम अमित उबे

पद सहायक निरीक्षक

जिला-इन्दौर (म.प्र.)

गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित,

वर्ष 2020 - 2021

अंकेक्षण टीप

गृह निर्माण समितियां

1. समिति का नाम और पता
2. पंजीयन क्रमांक तथा दिनांक
3. अंकेक्षण की अवधि
4. अंकेक्षण का दिनांक
5. समिति किस प्रकार की है (शिकमा स्वामित्व, शिकमा सह भागीदारी गृह निर्माण आदि) तथा कौन सा काम कर रही है?
6. क्या समिति के पास म.प्र. सह. अधिनियम, समिति की उपविधियां तथा पंजीयन का प्रमाण पत्र हैं
7. ~~सदस्य।~~
निम्न जामकारी दीजिए:-

अंकेक्षक के उत्तर

वेदमाता गावडी गृ. नि.
सहकारी संस्था मया. सह.
पंजीयन पत्र - वेद नगर, प्रान्त
को. के नीचे उल्लाहवाला इलाका
मया. नि. 01/4/2020 से 31/03/2021
दिसंबर - 2021
गृ. नि. समिति है
जी. हा. संस्था रिकार्ड
में उपलब्ध है

संख्या (व्यक्तिगत सदस्यों की)	प्रदत्त अंश पूंजी (व्यक्तिगत सदस्यों की)	धारित अंशों की संख्या व्यक्तिगत सदस्यों की)	उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने विभिन्न प्रकार के गृहों के लिए आवेदन किया है				
			प्रकार	प्रकार	प्रकार	प्रकार	
1.	वर्ष के प्रारंभ में	676	27952				
2.	वर्षान्तर्गत भर्ती किये गये						
3.	वर्षान्तर्गत अलग अलग किये						
4.	वर्षान्त पर						

- क. क्या नये सदस्यों की भर्ती नियमानुसार की गई है तथा उनका नाम सदस्यता पंजी में दर्ज किया गया है? **क्या है** अंकेक्षण वर्ष में नया सदस्यपत्र
दिए गए हैं।
- ख. क्या सदस्यों के लिए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है और यदि किया गया है तो क्या नये सदस्यों ने अपने प्रवेश शुल्क का भुगतान कर दिया है? **क्या है** प्रवेश शुल्क, दावे आपसी प्रान्त
को सम्मिलित किया गया है।
- ग. क्या हर एक सदस्य ने वर्तमान उपनियम से व उनमें किये गये वाद के संशोधनों से बाध्य रहने संबंधी घोषणा पत्र दे दिया है? **क्या है** घोषणा पत्र पूर्व वर्ष में
लिये गये हैं। (उपनियम 10)

क्या सभी सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं?

क्या सभी सदस्यों ने नियमानुसार अपने मनोनीत व्यक्तियों के नाम दे दिये हैं?

क्या आपने समिति में पहुंचते ही नकदी सिलक की जांच की है? यदि नहीं, तो क्यों? फिर कब जांच की? कितनी सिलक बाकी थी तथा क्या वह रोकड़ बही में दर्शाई गई बाकी सिलक से मिलती थी? यदि नहीं तो कितना फर्क था?

बाकी सिलक किसके पास रहती थी। तथा समिति की उपविधियों के अनुसार उसके लिये कौन जिम्मेदार है?

लेन-देन होने पर क्या प्रत्येक दिन की रोकड़ वहां बन्द की गई है? तथा क्या बाकी सिलक अंकों तथा शब्दों में लिखी गई है और फिर सचिव तथा खजांची, अध्यक्ष अथवा मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं।

जो कर्मचारी स्थायी तौर पर अथवा कभी-कभी नकदी सिलक रखता है क्या उससे पर्याप्त प्रतिभूति ले ली गई है।

समिति की अधिकतम ऋण सीमा कितनी है? क्या वह उपविधियों के अनुसार है? क्या ऋण सीमा से अधिक ऋण लिया गया है?

सदस्यों को विक्रय करने हेतु क्या कोई भूमि अर्जित की गई है? यदि की गई है तो क्या विक्रय के लिए कोई भूमि शेष है?

पट्टे की भूमि देने के लिए जमानत के रूप में कितनी अग्रिम राशि प्राप्त हुई है? यह देखे कि उनका प्रति साधन (सेड ऑफ कुल) भूमि के विरुद्ध तो नहीं किया गया है।

क्या समिति ने प्रत्येक सदस्य से ऋण प्रार्थना-पत्र म.प्र. हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किये हैं?

अंकेक्षक के उत्तर

अंश प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये। शीघ्र जारी किये जाय सदस्यों के मनोनीत व्यक्तियों के नाम सिलक प्रमाण पत्र में दर्शाये जाय
जी हाँ

शेष सिलक अध्यक्ष के पास रहता है।

लेन-देन के दिवसों के खाबुद लिखी जाती है तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जाय

स्थायी कर्मचारी नहीं है

अधिकतम ऋण में कोई श्रावण नहीं लिया गया है।

पुत्रा क्र. 3 अनुसार

पट्टे की भूमि नहीं है।

सदस्य द्वारा हाउसिंग बोर्ड को श्रावण नहीं लिया गया है।
अन्य जानकारी नहीं।

15

बोर्ड द्वारा वितरित किये गये ऋण के सम्बन्ध में नियमानुसार निष्पादित एवं पंजीयन इकरार नामे नम्बर 6 की जांच कीजिये। इन इकरारनामों में जो ऋण दर्शाया गया है, उसका मिलान समिति द्वारा प्राप्त किये गये ऋण से किया जाए।

16

बोर्ड से प्राप्त ऋण में से समिति द्वारा उसके सदस्यों को वितरित किये गये ऋण के सम्बन्ध में नियमानुसार निष्पादित एवं पंजीयित इकरारनामे फार्म नं. 9 की जांच कीजिये। इन इकरारनामों में जो ऋण दर्शाया गया है उसका मिलान समिति द्वारा वितरित किये गये ऋण से किया जाए क्या किसी भी सदस्य को वितरित किये गये ऋण की राशि बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई ऋण सीमा से अधिक है? यदि ऐसा है, उनके नामों का उल्लेख कीजिये तथा ऐसी अधिक राशि दीजिये?

17

क्या समिति ने बोर्ड के पास रहन किये गये गृहों में से किसी भी गृह को किसी अन्य सदस्य के नाम से हस्तांतरित किया है? हस्तांतरिती का नाम तथा हस्तांतरण का दिनांक दीजिये तथा गृह का मूल्य जो विक्रय के लिए आंका गया हो दीजिए। इस सम्बन्ध में जो इकरारनामे प्राप्त किए गए हैं, क्या वे नियमानुसार निष्पादित एवं पंजीकृत किए गए हैं? यदि कोई दस्तावेज नहीं है तो वह बताइए। क्या इन दस्तावेजों के साथ बोर्ड के नियमों तथा समिति की उपविधियों के अनुसार ठहराव लगाए गए हैं? निर्मित अथवा अनिर्मित गृह का हस्तांतरण करने के पूर्व क्या समिति ने बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त कर ली है?

18

क्या समिति ने अपनी निधियों में से किसी सदस्य को कोई कर्ज दिया है? यदि हां, तो सदस्य का नाम, कर्ज की राशि, कर्ज की अवधि तथा प्रत्येक कर्ज के लिए निर्धारित की गई समान किरतों का ब्यौरा दीजिये? क्या उनके साथ ठहराव लगाया गया है?

~~संकेक्षक~~ - नि 59

11

11

11

19 - प्रारम्भ से कुल उधार ऋण ग्रहण की राशि तथा प्रत्येक कर्ज को समान किराए की राशि मय भुगतान के निम्न प्रारूप में दीजिये।

संस्था द्वारा कोई ऋण उधार
ग्रहण नहीं की गई है।

अ.क्र.	विवरण	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया राशि	वर्ष में उधार की गई राशि	वर्ष में भुगतान की गई राशि	वर्ष के अन्त में बकाया राशि
1	2	3	4	5	6

1 अमानतें :-
अ - सदस्यों की म्यादी अमानतें
अल्पकालीन, दीर्घकालीन
अन्य अमानतें
ब- असदस्यों की
1 कर्मचारियों की प्रतिभूति अमानतें
2 ठेकेदारों की प्रतिभूति अमानतें
3 कर्मचारियों की भविष्यनिधि अमानतें
4 अन्य अमानतें

262547 - 316124 - 258124 + 320547

2 ऋण :-
1 शासकीय ऋण अल्प आय समूह?
(मध्यम आय समूह)

3 अन्य उधार ग्रहण :-
यदि कोई हो? (उल्लेख कीजिये)

कुल योग

20 कितने गृह निर्मित किए गए हैं?

क - समिति द्वारा अपने सदस्य के लिए
(1) पूर्ण निर्मित गृह
(2) अपूर्ण निर्मित गृह

ख- सदस्यों द्वारा अपने स्वयं के लिए
(1) पूर्ण निर्मित गृह
(2) अपूर्ण निर्मित गृह

ग- समिति द्वारा किराए पर देने के लिए
(1) पूर्ण निर्मित गृह
(2) अपूर्ण निर्मित गृह

वर्ष के अन्तर्गत संख्या मूल्य

वर्ष के अन्त तक संख्या मूल्य

नोट - संस्था द्वारा 31.03.2017 वर्ष में कोई गृ. नि. कार्य नहीं किया गया है।

- 21 क्या सदस्यों के लिए निर्मित सभी गृहों का कठना सम्बन्धित सदस्यों की लिखित रूप में व नियमानुसार दिया गया है तथा उनके साथ आवश्यक ठहगव लगाये गये हैं? यदि नहीं तो विवरण दीजिए?
- 22 समिति द्वारा जो किराया-खरीद () पर देने के लिए गृह निर्मित किये गये हैं, उनमें से कितने इस तरह दिए जा चुके हैं? उनके सम्बन्ध में क्या कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं?
- 23 क्या निर्माण कार्य के लिए यंत्री द्वारा प्रत्येक माह या तिमाही का कार्यक्रम बनाया गया है, निर्माण कार्य किस प्रकार किया जाता है, विवरण दीजिए। क्या कार्य समिति या संचालक मंडल द्वारा समय-समय पर कार्यक्रम का सिंहावलोकन किया जाता है? क्या निर्माण कार्य समिति स्वयं के मंत्रियों द्वारा कराया जाता है अथवा विशेष ठेकेदारों या किसी सिद्ध फर्म जो कि निर्माण कार्य करती है, की मदद से उन शर्तों एवं निबन्धन के अनुसार कराया जाता है, जैसा कि संचालक मंडल निर्धारित करें
- 24 भूमि खरीदी का स्वत्व-पत्र (टापटियल, डीड) इकरार नामों तथा पट्टे पर ली गई भूमियों और सदस्यों की पट्टे पर दी गई भूमियों व इमारतें पिछले अंकेक्षण के समय भी साल हाल में ली गई थी, क्या वे अभी भी उसके पास हैं? इस सम्बन्ध में नगर पालिका का तथा अन्य सम्बन्धित रसीदों की भी जांच कीजिये।
- 25 यदि समिति स्वयं द्वारा गृह निर्माण निर्मित किए गए हैं, तो क्या गृहों के मूल्यांकन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं?
- (क) क्या प्रत्येक फर्म जिससे कि निर्माण सामग्री खरीदी गई है, का व्यक्तिगत हिसाब रखा गया है। क्या हिसाब का विवरण पत्रक भेजकर हर तिमाही में उसका मिलान किया जाता है?
- (ख) क्या समिति प्रत्येक प्रकार के गृहों से सम्बन्धित सभी कार्यों का विस्तृत ऐस्टीमेट रखती है?

अंकेक्षण के द्वारा
संस्था द्वारा कोई गृह निर्माण
कार्य नहीं किया गया है।
अतः जानकारों निरुद्ध है।

संस्था द्वारा कोई गृह निर्माण
नहीं किया गया है।

— do —

— do —

(1) क्या समिति ने पंजीयक द्वारा निर्धारित सभी किताबें तथा पंजीयां रखी हैं? किताबों तथा पंजीयों के नाम दीजिए, जो नहीं रखी गईं?

सभी आवश्यक पंजी रखी हैं।
सदस्यता आवंटन पंजी, व्यापक पंजी
आवंटन पंजी, डेस्टॉक पंजी नहीं रखी हैं।
विकास कार्य के लिए प्रहरी से
जुड़ा जा रहा है इसलिए सही
पंजी इच्छित नहीं हुआ है।

(2) जो सामग्री प्राप्त की जाती है तथा प्रदाय की जाती है, उसके लिए तथा स्टोर-कीपर ने अलग से पंजी, पंजीयां रखी हैं। क्या इन पंजीयों में बताई गई स्टॉक की बाकी केन्द्रीय कार्यालय में रखे गये स्टोर के खातों में मिलती है?

हर एक पंजी नहीं रखी गई।
वर्मा के विकास कार्य अलग 2
केन्द्रों से विभिन्न वर्मा में काम चल रहा है।

(3) स्टॉक के चार्ज में कौन-कौन अधिकारी हैं, उपविधियों के अनुसार स्टॉक की सुरक्षितता के लिए कौन जिम्मेदार है?

विकास कार्य का अवलोकन
सचालक मण्डल द्वारा किया जाना बताया
गया। किन्तु कितना विकास कार्य
हुआ इसकी सचालक मण्डल से
संज्ञित नहीं हो पाई।

(4) क्या मौके पर जाकर स्टॉक की सामयिक जांच की जाती है किस अधिकारी द्वारा कितनी-कितनी अवधि में स्टॉक की जांच की गई है, विवरण दीजिए? प्रत्येक जांच के क्या परिणाम हुए हैं?

काम पूरा होने के पूर्व यंत्रों की
भुगतान बिल पर दस्तावेज (डी)
संस्था के पास कोई दस्तावेज नहीं

(5) क्या सभी बीजकों की प्रविष्टियां हिसाब की पुस्तकों में कर दी गई हैं?

27 क्या औजारों तथा यंत्रों का हिसाब-किताब रखा जाता है तथा उसकी जांच की जाती है। क्या निर्माण की बड़ी-बड़ी मशीनों के लिए लाग बुक रखे हैं?

28 क्या उपस्थिति नामावली मास्टर रोलस रखी जाती है? भुगतान का नियत समय क्या है? क्या सहायक यंत्री द्वारा समय उपस्थिति की जांच की जाती है? क्या भुगतान यंत्री द्वारा किया जाता है या खजांची द्वारा?

विकास कार्य के लिए प्रहरी से जुड़ा
जाने के कारण सचालक मण्डल को जाना
आवश्यक नहीं है। भुगतान करने के
पूर्व यंत्रों से सत्यापन नहीं हुआ
पर भी राशि भुगतान हो गई।
वर्मा के पेशगी नहीं की
गई है।

29 (1) क्या पेशगी की रकम पूरी करने के लिए पेशगी का हिसाब समय-समय पर मंत्रियों द्वारा भेजा जाता है? यदि ऐसा है तो कितनी बार भेजा जाता है?

(2) क्या बकाया राशि अधिक मात्रा में है तथा क्या वह कम हो जाती है?

(3) नगद राशि किसके पास रहती है? क्या नकद राशि की सुरक्षितता के लिए पर्याप्त सावधानियां ली जाती हैं?

नगद राशि व्ययपक्ष के
पास रहती है।

30 (1) क्या ठेके को पूरा करने के लिए ठेकेदारों अथवा फर्मों से पर्याप्त प्रतिभूति अधाननें प्राप्त कर ली गई हैं?

ठेकेदारों से प्रतिभूति समानता
प्राप्त की गई है।

- (2) क्या ठेके को पूरा करने के लिए इकरारनामे हैं, इसके उद्देश्य से क्या कोई रजिस्टर रखा गया है?
- (3) क्या प्रत्येक ठेकेदार के व्यक्तिगत खाते रखे गये हैं?
- (4) क्या किए गए कार्यों का तुरंत माप किया जाता है? क्या इन कार्यों में से कुछ की फिर से जांच सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री, ओवरसीयर द्वारा की जाती है?
- (5) क्या समिति ने सभी निर्माणाधीन भवनों के लिए माप पंजियां रखी हैं? यदि रखी हैं तो पंजियों के क्रमांक दीजिए?
- (6) क्या आपने माप पंजियों की पूर्ण जांच की है अथवा आंशिक जांच?
यदि आपने केवल आंशिक जांच की है तो उसका प्रतिशत माप पंजियों के क्रमांक तथा आंशिक जांच का परिणाम दीजिए।
- 31 समिति द्वारा सदस्यों को जो अतिरिक्त कर्ज वितरित किया गया है, क्या उसके लिए समिति ने इकरारनामे प्राप्त कर लिए हैं? क्या प्रतिभूति प्राप्त कर ली गई है।
- 32 हाउसिंग बोर्ड अथवा अन्य साधनों से प्राप्त कर्ज पर समिति जो ब्याज देती है, उससे सदस्यों से लिया जाने वाला ब्याज कितना अधिक है? दोनों दर दीजिए।
- 33 अशोधित ऋण की राशि (डिफाल्टेड अमाउंट) पर दंड ब्याज की दर क्या है?
- 34 समिति अपने उधार ग्रहण पर किस दर से ब्याज का भुगतान करती है? निम्न प्रकार का विवरण दीजिए।
(क) व्यक्तिगत अमानतें।
(1) मुहती अमानतें।
(2) भविष्यनिधि अमानतें।
(3) कर्मचारियों की प्रतिभूति अमानतें।
(4) ठेकेदारों की प्रतिभूति अमानतें।
(5) अन्य अमानतें।
(क) शासन से प्राप्त ऋण।
(ग) अन्य उधार ग्रहण यदि कोई हो (उल्लेख कीजिए)।

अंकेषक के उत्तर

ठेकेदारों से विवरण कार्य कदाय
जाने के पूर्व संस्था के ठेकेदारों
के माध्यम से अनुभव लेना नहीं हुआ
तथा कितना विवरण कार्य हुआ
इसको पंजी संधारित नहीं किया
जा रहा
ठेकेदारों द्वारा किये जाये कार्य
का माप नहीं लिया गया।

37

संस्था द्वारा कर्ज वितरण
नहीं किया गया है।

संस्था द्वारा हाउसिंग बोर्ड
अथवा अन्य साधनों से
प्राप्त कर्ज पर ब्याज नहीं लिया गया है।

संस्था में अशोधित ऋण
नहीं है।

अमानतों पर ब्याज नहीं लिया
जाता है।

35 समिति के कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार दीजिए। क्या वे पर्याप्त है? क्या समिति ने अपने कर्मचारियों से पर्याप्त प्रतिभूति ले ली है? क्या कर्मचारियों पर किया जा रहा व्यय उचित है या अनुचित है।

क्र. नाम कर्मचारी पद मासिक वेतन मय महंगाई

- 1 2 3 4
- 36 (1) समिति का संचालक मंडल कब चुना गया था? संचालकों के नाम दीजिए।
- (2) क्या संचालक मंडल की बैठकें उपविधि के अनुसार बराबरी होती हैं? वर्ष में संचालक मंडल की कितनी बैठकें हुई हैं? दिनांक दीजिए। क्या बैठक की कार्रवाइयां नियमानुसार लिखी गई हैं?
- (3) क्या संचालक मंडल में कोई स्थान रिक्त हैं? यदि है तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए क्या कार्रवाई की गई?
- (4) क्या संचालक मंडल के कितने सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण उपविधियों के अनुसार संचालक रहने के लिए अयोग्य हो गये हैं? इनमें से कितनों को अलग कर उनके स्थानों पर नई नियुक्तियां कर ली हैं?
- (5) क्या कोई संचालक अनुपस्थिति के अतिरिक्त दूसरी उपविधियों के अंतर्गत पद के अयोग्य कर दिया गया है?
- (6) क्या कोई उपसमितियां जैसे योजना उपसमिति, नमूना उपसमिति, कार्य उपसमिति आदि बनाई गई हैं? क्या वे उपविधियों के अनुसार काम बनाई गई है। प्रत्येक उपसमिति में कितने कितने सदस्य हैं?

- 7 क्या संचालक मंडल ने समिति के मुख्य-मुख्य कर्मचारियों के कर्तव्य एवं अधिकारों के लिए कोई सहायक नियम बनाए हैं? क्या इस संबंध में आपके कोई सुझाव है?
- 8 क्या ऊपर वर्णित अनियमितताओं के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य सहकारी कानून, नियम व समिति के उपनियमों के विरुद्ध हुए हैं? यदि हां, तो उन्हें उल्लेख कीजिए।
- 9 अंकेक्षण का सामान्य पता।

अंकेक्षक के उत्तर

संस्था में दो जल्पकालीन कर्मचारी हैं।

शैक्षणिक योग्यता प्रतिभूति अन्य वितरण

निर्वाचन दिनांक 30/01/2018

पद रिक्त नहीं है।

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रस्ताव देखा नहीं मिला है।

उप समिति नहीं बनाई है।

सहायक नियम नहीं बनाये हैं।

आक्षेप एवं सुझाव होलान्त है।

सहकारी निरीक्षक
जिला-इन्दौर (म.प्र.)

अंकेक्षण वर्गीकरण पत्रक

क्रमांक	विवरण	निर्धारित अंक	
1.	सहकारिता के प्रति आस्था	5	3
2.	पंजीगत बांचा	15	7
3.	वित्तीय स्थाईत्व	12	6
4.	व्यवस्था पत्र	15	7
	(1) स्टाफ		
	(2) मीटिंग		
	(3) आडिट आक्षेपों की तामिली पंजीयक के आदेशों का तथा सह. विधान तथा नियमों का पालन, पंजीयक को भेजे जाने वाले पत्रकों का सामयिक प्रस्तुतिकरण		21
5.	लेखा एवं रिकार्ड का रख-रखाव	5	2
6.	आंतरिक जांच की व्यवस्था	5	2
7.	नकदी तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज रखने की व्यवस्था	3	1
8.	संस्था का जिस कार्य के लिए पंजीयन हुआ हो उसके नाबद विशेष बिन्दुओं की पूर्ति		
	टीप के साथ	40	13
अ- वर्ग	बहुत अच्छी	60 प्रतिशत व उसके ऊपर	
ब-वर्ग	अच्छी	50 प्रतिशत से 49 प्रतिशत	
स-वर्ग	संतोषप्रद साधारण	25 प्रतिशत से 49 प्रतिशत	
ड-वर्ग	खराब व अनापि	25 प्रतिशत से कम	

चूंकि संस्था को कुल... 41... अंक प्राप्त हुए हैं, अतः में संस्था को वर्ष 2020-21 के लिए... 'अ'... वर्ग में रखता हूं।

इन्दौर

दिनांक

14 सितंबर 2021

हस्ताक्षर अंकेक्षक
श्रीमती. डी. डी.

(पह व. रा. प्र.)
सहकारी निरीक्षक
जिला-इन्दौर (म.प्र.)

.....सरकारी गृह निर्माण समिति मर्या.....के सदस्यों की तथा अंगों
1 जानकारी वर्षान्त 31-3-.....तक की

क्रमांक	सदस्यता क्रं.	नाम सदस्य	पिता, पति का नाम	पता	आयु	जमा अंग पूंजी
1	2	3	4	5	6	7

— सूची संलग्न है —

प्रापत्र क्रमांक 2

.....सहकारी गृह निर्माण समिति मर्या.....के सदस्यों की आर्बिट्रल
सूचियों की जानकारी 31-3-.....तक

क्रमांक	सदस्यता क्रं.	नाम सदस्य	पिता, पति का नाम	पूखंड हेतु जमा राशि	आर्बिट्रल पूखंड नं.	पूखंड क्षेत्रफल आकार
1	2	3	4	5	6	7

— सूची संलग्न है —

प्रापत्र क्रमांक 3

इकाई समिति का नाम.....
स्था द्वारा कय की गई भूमि की जानकारी 31-3-.....तक की

क्रमांक	नं.	नाम भू स्वामी	रकबा एकड़ में	कय मूल्य	पंजीयन क्रं.	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7

कय भूमि का B-1 एवं PII के पत्रक संलग्न है।
ग्राम केलोद हाल्वा 8.714 हेक्टेयर
ग्राम लसुडिया मोरी 1.942 हेक्टेयर

प्रापत्र क्रमांक 4

स्था द्वारा भू-स्वामियों को अग्रिम राशि प्रदान करने की जानकारी

क्रमांक	भू-स्वामियों का नाम तथा ग्राम	पट्टवार हल्का नं. तथा ग्राम	खसरा नं.	रकबा	अग्रिम राशि
1	2	3	4	5	6

यदि भूमि सिलिंग में हो तो कृषक द्वारा अग्रिम अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन विवरण

7	इकरारनामा दिनांक	8	पंजीयन क्रमांक	9	अन्य विवरण	10
---	------------------	---	----------------	---	------------	----

— निरंक —



अध्यक्ष

वद माता गायत्री सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या, इन्दौर

गृह निर्माण संस्था.....

लेआउट का अन्य विवरण

संस्था द्वारा क्रय किये गये पारित ले आउट का विवरण आदेश क्रमांक दिनांक		कुल पारित रकवा एकड़ में	कुल भूखंडों की संख्या		आवंटित भूखंड की संख्या	
1	2	3	साईज	संख्या	साईज	संख्या
5776	15/07/2016	4.8487	एकड़	267	एकड़	267
		(कैलोद हावा)		पुप्त 2 में पशुधनुस		पुप्त 2 में पशुधनुस

शेष बचे भूखंडों का विवरण साईज संख्या		हायवर्शन का विवरण आदेश क्रमांक दिनांक		खसरा नं.	रकवा
8	9	10	11	12	13
निरंक	निरंक	1/अ-2/2017	31/01/2017	कुल 29 खसरा नंबर हैं	5.855 एकड़

कालीनाइजर्स प्रमाण पत्र का विवरण वसूली कर हेतु आदेश

भवन निर्माण हेतु आदेश

क्रमांक	दिनांक	क्रमांक	दिनांक
14	15	16	17
46/2015	13/08/2015		अनुमति शेष है

प्रपत्र क्रमांक 6

भवनों के निर्माण की स्थिति

कुल आवंटित भूखंडों की संख्या	निर्पित भवनों की संख्या	निर्माणाधीन भवनों की संख्या खोदी है संख्या	जिन भूखंडों पर अभी नीप भी नहीं न खोदी हो की संख्या	3 वर्ष या उससे ज्यादा समय से खाली अर्थात प्लान्च भी न खुदी हो की संख्या
1	2	3	4	5

प्युडिया मोरी 84

कैलोद हावा 3
267

264

264
अध्यक्ष

बद माता गायत्री सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या. इन्दौर

निरस्त किये गये तथा पूर्व आवंटित भवनों तथा भूखंडों की जानकारी

सदस्यता क्रमांक जिसका भवन भूखंड निरस्त किया गया है	भूखंड क्रमांक	पूर्व आवंटित सदस्यता क्र. जिसे दिया गया	भूखंड भवन	उपपंजीयक का आदेश क्र. दि
1	2	3	4	5

— निरंक —

भूखंड पर भवन विक्रय की अनुमति की जानकारी जिसे विक्रय सदस्य द्वारा

जिसे विक्रय किया गया			जिसको आवंटित किया गया			
सदस्य क्र. जिसके अनुसार दी गई	भूखंडों का क्रमांक	भवनों का क्रमांक	सदस्यता क्र.	भूखंड क्र.	भवन क्र.	विक्रय राशि
1	2	3	4	5	6	7

— निरंक —

संस्था में कब शुल्क जमा की

उप पंजीयक क्रमांक

संचालक मंडल का प्रस्ताव आदेश दिनांक

8

9

10

— निरंक —

गृह निर्माण समिति :

स्था द्वारा सदस्यों के भवन निर्माण हेतु प्राप्त ऋण की अदायगी
तीर्थ एजेंसी का नाम जहां से प्राप्त किया गया

क्रमांक	नाम सदस्य	गत वर्ष का शेष	प्राप्त ऋण की राशि	योग	ऋण अदायगी (केवल मूलधन)	वर्षान्त पर कालातीत ऋण पर शेष ऋण
1	2	3	4	5	6	7

— निरंक —

संस्था द्वारा स्वयं के राधनों से दिया गया ऋण

क्रमांक	नाम सदस्य	अग्रिम का उद्देश्य किस लिये किया गया	राशि	पिटला शेष	इयू	योग	वसूली	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9

— निरंक —

अध्यक्ष

वद माता गायत्री सहकारी गृह निर्माण
संस्था मर्या. इन्दौर

संस्था में कर्मचारियों द्वारा ली गई अग्रिम की सूची

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पद	वर्षान्त पर शेष राशि	राशि हेतु अग्रिम दिनांक
1	2	3	4	5

— निरंक —

प्रपत्र क्रमांक 12

संचालक मंडल के सदस्यों पर शेष अग्रिम की जानकारी

क्रमांक	नाम सदस्य	शेष राशि	उद्देश्य जिनके लिए अग्रिम दी गई
1	2	3	4

— निरंक —

प्रपत्र क्रमांक 13

संस्था द्वारा अन्य असदस्यों, सदस्यों को दी गई अग्रिम की सूची

क्रमांक	नाम व्यक्ति	उद्देश्य जिनके लिए अग्रिम दिया गया	वर्ष पर शेष राशि
1	2	3	4

— निरंक —

प्रपत्र क्रमांक 14

नाम संस्था.....

सम्पत्ति विवरण

क्रमांक	नाम सम्पत्ति	मूल्य	वर्ष में लगाया गया अवक्षयण	कुल अवक्षयण
1	2	3	4	5

— निरंक —

प्रपत्र क्रमांक 15

1. संस्था के पंजीयन के समय जो सदस्य बने थे, क्या उनको प्लान, प्लॉट आवंटित किये हैं :-

क्रमांक	प्लॉट आवंटन दिनांक	रजिस्ट्री करने का दिनांक
1	2	3

2. संस्था के पंजीयन के बाद जो सदस्य बने हैं, उनको प्लॉट आवंटित किये हैं :-

क्रमांक	सदस्य का नाम	प्लॉट आवंटन का दिनांक	प्लॉट, प्लान का दिनांक	रजिस्ट्रेशन
1	2	3	4	5

प्रपत्र क्रमांक 2 के अनुसार

अध्यक्ष

वद माता गायत्री सहकारी गृह निर्माण
संस्था मर्या. इन्दौर

प्रपत्र क्रमांक 16

संस्था द्वारा धारित भूमि का विवरण	ग्राम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
ग्राम केलोद हात्वा 8.714 हेक्टेयर (आवासीय)		
ग्राम लसुडिया मोरी 1.942 हेक्टेयर (कृषि भूमि)		

- 2 संस्था द्वारा धारित भूमि के कार्यक्षेत्र की सीमा के अन्दर स्थित है या बाहर **कार्यक्षेत्र में है।**
- 3 संस्था द्वारा धारित भूमि का मास्टर प्लान में प्रस्तावित भूमि उपयोग क्या है?

(जहां मास्टर प्लान लागू है)

- 4 संस्था द्वारा धारित भूमि नगर, बस्ती समूह की सीमा में है या बाहर (केवल भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रायपुर, उज्जैन एवं दुर्ग-भिलाई शहरों की संस्थाओं के लिए)। **ग्राम केलोद हात्वा की भूमि आवासीय है तथा ग्राम लसुडिया मोरी की भूमि परिवहन एवं मार्ग के लिए आदेशित है।**
- 5 भूमि के डायवर्सन संबंधी आदेश का क्रमांक एवं दिनांक। **अ-2/2017 दिनांक 31/01/2017**
- 6 भूमि का नगर तथा ग्राम क्षेत्र नियोजन कार्यालय द्वारा लेआउट का अनुमोदन किया गया **5776/दि. 15/07/2016**
- 7 भूमि का नगर पालिका निगम, नगर पालिका द्वारा लेआउट का अनुमोदन किया गया **ग्राम पंचायत केलोद हात्वा**
- 8 यदि भूमि नगर, बस्ती समूह के अंदर स्थित है तो भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र कब दिया गया? **3(A)90-C 19(5) 89-96 दि. 25/01/1992 एवं 29/10/1990**
- 9 भूमि के संबंध में नजूल अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र कब दिया गया?
- 10 संस्था द्वारा कालोनाइजर लाइसेंस किस दिनांक को प्राप्त किया गया? **46/2015/दि. 13/08/2015**
- 11 संस्था द्वारा कलेक्टर से नियम 10 के तहत फार्म 4 में कालोनी के विकास की स्वीकृति कब प्राप्त की गई? **प्रक्रमांक अ. 127/अ/74/2016-17 दि. 05/01/17**
- 12 संस्था ने कालोनी के विकास का कार्य कब शुरू किया? **2017-18**
- 13 संस्था द्वारा प्लॉट आवंटन का कार्य कब शुरू किया? **वर्ष 1990 से**
- 14 संस्था की भूमि में निकाले गये प्लॉटों की कुल संख्या? **267 केलोद हात्वा
104 लसुडिया मोरी**
- 15 निरीक्षण, आडिट दिनांक तक कितने सदस्यों को प्लॉट आवंटित किये गये? **267 सदस्यों को केलोद हात्वा एवं ग्राम लसुडिया मोरी में आवंटित भूखंडों का नक्शा स्वीकृत न होने से नहीं।**
- 16 क्या प्लॉट आवंटन का कार्य वरिष्ठता क्रम में किया गया?
- 17 संस्था की अंतिम आमसभा कब आयोजित हुई? **दि. 30/09/2020**
- 18 विगत एक वर्ष में संस्था की प्रबंध समिति की बैठकें कब-कब आयोजित हुईं? **① दि. 14/06/2020, ② 05/08/2020, ③ 06/09/2020, ④ 20/11/2020, ⑤ 14/02/2021**

टीप : नगर, बस्ती समूह से तात्पर्य है भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर शहरों के लिए संबंधित नगर पालिका निगम की सीमा तथा उसके चारों ओर पांच किलोमीटर तक क्षेत्र तथा उज्जैन, रायपुर तथा दुर्ग-भिलाई शहरों के लिए संबंधित स्थानीय संस्थाओं की सीमा तक उसके चारों ओर स्थित एक किलोमीटर तक का क्षेत्र।


अध्यक्ष

वद माता गायत्री सहकारी गृह निर्माण
संस्था मर्या. इन्दौर